महत्वपूर्ण एवं खास

कापर वायर की चोरी करने वाला शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे

❒ रेलवे बंगला पारा के सार्वजनिक बोर और कोतरारोड़ उपकेन्द्र से किया था वायर की चोरी

रायगढ़। कोतवाली थानाक्षेत्र में पिछले दिनों बोर में गये कॉपर वायर की चोरी को लेकर रेल्वे बंगलापारा के कुछ लोग टीआई मनीष नागर से मिले। कोतवाली टीआई, स्टाफ के साथ मौके पर जाकर तस्दीक किये और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज स्टाफ से चेक कराये। एक सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध युवक का फुटेज दिखा, स्टाफ युवक की तलाश में थी। इसी दौरान आज दिनांक 19/05/2021 को टीआई नागर को उनके सक्रिय मुखबीर द्वारा बापूनगर का कृष्णा सारथी कॉपर वायर चोरी कर छिपाकर रखने की सूचना दिया गया। सूचना पर स्टाफ द्वारा कृष्णा सारथी को थाने लेकर आया गया। कृष्णा सारथी से कड़ी पूछताछ पर दिनांक 01/04/2021 को कोतरारोड़ हीरापुर बिजली 220 केव्ही उपकेन्द्र से करीब 5 किलो कॉपर वायर तथा दिनांक 15/05/2021 को रेल्वे बंगलापारा में सार्वजनिक बोर के 200 मीटर तार को चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी तार को जलाकर बेचने की तैयारी में था, आरोपी से करीब 4 किलो तांबा तार की जप्ती की गई है। आरोपी कृष्णा सारथी पिता राकेश सारथी उम्र 20 वर्ष निवासी बापू नगर थाना कोतवाली को उपकेन्द्र में चोरी के दर्ज अप.क्र. 517/2021 धारा 457,380 भादवि एवं रेल्वे बंगलापारा में सार्वजनिक बोर से चोरी के संबंध में दर्ज अप.क्र. 652/2021 धारा 379 भादवि में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल किया गया है। आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी में टीआई कोतवाली के हमराह प्रधान आरक्षक नंदू सारथी, आरक्षक हेमप्रकाश सोन की सक्रियता रही है।

मदिरा दुकान से होम डिलीवरी के साथ दुकान से पिक-अप का मिला विकल्प

❒ जारी किया गया अनुमति आदेश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा मदिरा उपभोक्ताओं को मदिरा की ऑनलाईन डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत होम डिलीवरी तथा मदिरा दुकान से पिक-अप, दोनों ही विकल्पों की सुविधा प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे मदिरा उपभोक्ता जो मदिरा दुकान से पिक-अप का विकल्प चयन करते है, उक्त उपभोक्ताओं को ऑनलाईन अग्रिम भुगतान उपरांत, कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किये जाने की शर्त पर संबंधित फुटकर मदिरा दुकान से मदिरा का प्रदाय किये जाने की अनुमति प्रदान किया गया है।

महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय को स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से किया गया अधिग्रहित

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत कोविड-19 आईसोलेशन वार्ड के रूप में महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय, रायगढ़ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के पक्ष में स्वास्थ्य सुविधा हेतु आगामी आदेश पर्यन्त अधिग्रहित किया है।

ओपी जिंदल स्कूल के प्रिंसपल पर छात्रा से मारपीट करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

रायगढ़। रेल्वे बंगलापारा में रहने वाली महिला द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित शिकायत पत्र की जांच उपरांत तराईमाल ह्क्क जिंदल स्कूल की प्रिंसपल अल्का गोडबोले के विरूद्ध अप.क्र. 152/2021 धारा 325 भादवि एवं 75 किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 31.08.2019 को छात्रा के स्कूल बैग में मोबाईल फोन मिलने पर प्रिंसिपल अल्का गोडबोले द्वारा छात्रा को बुरी तरह उसे मारा गया। शिकायत जांच एवं चिकित्सक द्वारा प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18/05/2021 को अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के बारसूर के अंतर्गत कोशलनार से हत्या के आरोपी कमलू पदामी पिता स्वर्गीय पांडु पदामी उम्र 46 वर्ष निवासी पुराना सरपंच पारा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था।

दुकान का शटर गिराकर अंदर भीड़ कर बेच रहे थे सामान, 7 दुकान संचालकों पर हुई कार्रवाई

क्राईम मीटिंग में एसपी से मिले निर्देश के बाद देर शाम तक कोतवाली क्षेत्र में चली कार्रवाई

रायगढ़। 18 मई को पुलिस कन्ट्रोल रूम से एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा वर्चुअल क्राईम मीटिंग लेकर सभी प्रभारियों को लॉकडाउन के उल्लंघन को नजरअंदाज न कर सीधे एफआईआर करने के निर्देश दिये गये थे। निर्देशों के पालन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी मनीषचन्द्र नागर द्वारा थाने के विवेचक उप निरीक्षक नंदलाल पैकरा, उप निरीक्षक अजीब बेक, उप निरीक्षक बी एस डहरिया, सउनि राजेन्द्र पटेल एवं स्टाफ को अपने-अपने बीट में सूत्रों से सूचनाएं लेकर जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना पर कार्यवाही करना बताये। टीम द्वारा देर शाम तक ऐसे 07 दुकानों के संचालकों पर कार्यवाही किया गया जो शटर गिराकर अथवा पूरा दुकान खोलकर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी कर सामानों की बिक्री कर रहे थे। कोतवाली पुलिस द्वारा इन पर दर्ज किया गया है एफआईआर-

(1) इंद्रिरानगर में फल विक्रेता शटर गिराकर फल बेचने की सूचना पर छापेमारी में संचालक मो. सलीम पिता मो. नूर उम्र 32 साल साकिन इदिरानगर दुकान अंदर ग्राहकों को फल बेचते मिला।

(2) गांजा चौक किराना स्टोर रायगढ का संचालक- दिवेश अग्रवाल पिता किशन अग्रवाल उम्र 31 साल साकिन गांजा चौक रायगढ दुकान को खोल कर सामान बिक्री।

(3) गायत्री प्रोविजन दुकान पुराना हठरी चौक रायगढ संचालक संजय कुमार अग्रवाल पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल उम्र 42 वर्ष साकिन लाल टंकी रायगढ। शटर गिराकर अंदर सामान बेचते मिला।

(4) कोतरारोड दरोगामुडा में संतोष पटेल पिता रतन लाल पटेल उम्र 40 वर्ष सा0 कोतरारोड दरोगामुडा अपनी दुकान खोलकर भीडभाड एकत्र कर सामान बेचते मिला।

(5) रामभाठा में चन्द्रशेखर सैनी पिता स्व0 भागचन्द सैनी उम्र 53 वर्ष सा0 रामभाठा चर्च रोड वार्ड क्र0 14 रायगढ दुकान खोलकर सामानों की बिक्री कर रहा था।

(6) सुभाष चौक में अभिवन गुप्ता पिता अजय कुमार गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा0 सुभाष चौक आलोक मौल के सामने किराना दुकान को खोलकर सामानों की बिक्री।

(7) गौरी शंकर मंदिर रोड इतवारी बाजार में संजय अग्रवाल पिता कृष्ण कुमार अग्रवाल उम्र 30 वर्ष सा0 गौरी शंकर मंदिर रोड इतवारी बाजार रायगढ किराना दुकान को खोलकर सामान बिक्री करते मिला।

कंट्रोल रूम में लगे अधिकारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन

रायगढ़। कलेक्टोरेट भवन रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 19 में कंट्रोल रूम दूरभाष से प्राप्त सूचना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विनोद सिंह राठौर उपयंत्री कार्यालय कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण मंडल रायगढ़ की ड्यूटी प्रभारी अधिकारी के रूप में लगायी गयी थी जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये विनोद सिंह राठौर के स्थान पर जे.एम.तिर्की सहा.सां.अधिकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रायगढ़ की ड्यूटी समय रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लगायी जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

श्रमिकों एवं यात्रियों को क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचाने हेतु लगाये कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन

रायगढ़ । जिला प्रशासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी श्रमिकों, व्यक्तियों, यात्रियों के ट्रेन के माध्यमों से रायगढ़ जिले में आगमन के दौरान उनको अपने निगरानी में बस के माध्यम से क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचाने हेतु संयुक्त कलेक्टर सुमित अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये उनके सहयोग हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये तीन पालियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त लगायी गई है। इनमें प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ श्रीमती रूचिका अग्रवाल, राजस्व निरीक्षक नंदराम पटेल एवं पटवारी प्रशांत ओहदार की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ सुश्री श्रुति शर्मा, राजस्व निरीक्षक पुसौर राम बहादुर सिंह, पटवारी उमेश नायक तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ आयुष तिवारी, राजस्व निरीक्षक योगेश पटेल एवं पटवारी हिमांशू वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है।

10 वीं के परीक्षा परिणाम घोषित, रायगढ़ जिले से शामिल सभी 23 हजार 260 परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण

रायगढ़। छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम आज प्रातः 11 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आनलाईन जारी किया गया। इस परीक्षा में जिले के 23 हजार 260 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये है।

जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ आदित्य ने बताया कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए इस वर्ष जिले के कुल 23 हजार 535 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 11292 बालक और 12243 बालिकाएं शामिल हैं। इनमें से 275 परीक्षार्थी मूल्यांकन में शामिल नही हुए। शेष 23 हजार 260 पात्र परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इनमें 11154 बालक एवं 12106 बालिकाएं शामिल हैं। सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये। इस तरह परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत है।

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में 22584 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 436 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी तथा 240 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 10722 बालक और 11862 बालिकाएं, द्वितीय श्रेणी 266 बालक तथा 170 बालिकाएं और तृतीय श्रेणी में 166 बालक व 74 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई।

इस वर्ष कोविड 19 महामारी के कारण 10 वीं बोर्ड की परीक्षा निरस्त करते हुए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इस वर्ष पुर्नगणना एवं पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान समाप्त किया गया है। जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होंगे उन्हें आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार हेतु सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए जल्द पूरी करें प्रक्रिया-कलेक्टर

» अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की बैठक में दिए निर्देश

रायगढ़ । शहर के लोगों को सस्ती जांच सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर भीम सिंह ने अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की बैठक में इसे जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए।

वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर भीम सिंह ने योजना की पूरी जानकारी ली। इसमें पूरी प्रक्रिया की जानकारी पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निगम के उपअभियंता ऋषी राठौर ने दी। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया किया जाएगा, जिसमें नियम और अनुभव की शर्तो को पूर्ण करने वाले संस्थान को टेंडर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा संस्थान को 15 वर्ष के लिए भवन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके एवज में संस्थान द्वारा नगर निगम को किराया भी दिया जाएगा। इसमें पैथोलाजी व रेडियोलाजी के एमडी डाक्टर की सेवा मिलेगी। टेंडर प्रक्रिया में दिए गए जांच की सूची में जो सबसे कम दर निर्धारित करेगा। उसी संस्थान को टेंडर मिलेगा। इसमें ब्लड, यूरिन के सभी जांच के साथ सीटी स्केन और एमआरआई जांच की सुविधा भी लोगों बहुत सस्ते दरों में मिलेगी। इस पर कलेक्टर भीम सिंह ने प्रक्रिया को जल्द करने और जगह चयन के संबंध में एमआईसी स्वीकृति आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने निगम कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय को निर्देशित किया। आने वाले तीन से चार माह में सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधा लोगों को मिलेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी सहित सोसायटी के अन्य सदस्य शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में ब्लड टेस्ट से लेकर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे महंगे जांच किफायती दरों पर उपलब्ध कराने राज्य सरकार 14 शहरों में सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने जा रही है। जिसके तहत रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में सेंटर प्रारम्भ करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। सेंटर शुरू होने के बाद शहर के लोगों को रियायती दर पर पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। ये सेंटर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी (यूपीएसएस) के माध्यम से संचालित होंगे।

18 प्लस वाले 71 हजार 847 लोगों को लग चुका है टीके का पहला डोज

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में पूरे रायगढ़ जिले में 200 सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें 18 से 44 वर्ष के लोगो को टीकाकृत किया गया। जिसमें ए.पी.एल. बी.पी.एल व अंत्योदय कार्डधारी तथा फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकृत किया गया। अभी तक 18 से 44 वर्ष के 71 हजार 847 लोगो को टीकाकृत किया गया है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.भानु पटेल के द्वारा टीकाकरण लक्ष्य को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिये सफलतम प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है, शासन के द्वारा भेजे गये वैक्सीन का सही उपयोग करते हुए संबंधित लाभार्थियों को टीकाकृत करके दिये गये लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को सुविधाजनक रूप से कराने के लिये लाभार्थियों को सीजी टीका एप में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात वैक्सीन सेंटरों में जाकर टीकाकृत करने की सुविधा दी जा रही है। जिससे सुचारू रूप से टीकाकरण हो। वैक्सीन सेंटर में अपना आधार कार्ड, राशनकार्ड साथ में ले जावें। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनके लिए निर्धारित टीकाकरण केन्द्र में स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सीधे वैक्सीन ले सकते है। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वयं को

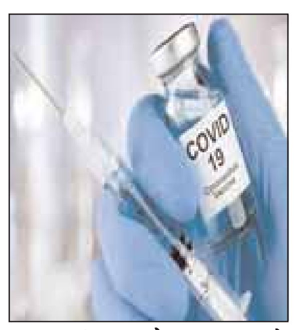

तथा परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रखने का आज सबसे महत्वपूर्ण व जरूरी उपाय टीकाकरण है। इस टीके को लेकर कुछ भ्रांतियां सोशल मीडिया के जरिये फैली है। लेकिन यहाँ इन तथ्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये टीके वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रक्रिया के बाद स्वीकृत किये गये है। पूरे देश में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। अतः सभी से अपील है कि टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रांतियों से दूर रहकर सभी पात्र लोग टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के बाद भी कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और हाथों को नियमित रूप से धोएं या सेनिटाइज करें। अगर आपको किसी खास दवाई या चीज से एलर्जी हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। टीकाकरण को लेकर तनाव ना पालें बिल्कुल सहज रहें। पात्र व्यक्ति टीका लगवाकर शासन-प्रशासन का सहयोग करें।

दुष्कर्म के आरोपी सारंगढ़ से गिरफ्तार

» आरोपी पर शारीरिक शोषण के बाद अन्य युवती से शादी करने का आरोप

रायगढ़। थाना कोतवाली में दिनांक 18/05/2021 को चक्रधरनगर क्षेत्र में किराये मकान में रहने वाली युवती द्वारा आरोपी नंद कुमार मनहर पिता लाभो राम मनहर उम्र 32 वर्ष साकिन ग्राम रानीसागर थाना सारंगढ़ के विरूद्ध लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि नंद कुमार मनहर इसे शादी का विश्वास दिलाकर शारीरिक संबंध स्थापित किया और अब दूसरी लड़की से शादी कर लिया है।

युवती बताई कि सारंगढ में रहकर पढाई लिखाई की है, पिछले 09 वर्ष से नंद कुमार मनहर से प्रेम संबंध है। रायगढ़ में काम करने के दौरान नंद कुमार मिलने आता था जो शादी करने का विश्वास दिलाया और मई 2018 में रायगढ़ के एक होटल में शारिरीक संबंध बनाया था इसके बाद से कई बार संबंध बनाया है। इसी बीच नंद कुमार मनहर की नौकरी लग गई, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। तब भी वह मिलने रायगढ़ आता था। शादी की बात करने पर कुछ दिनों में कर लेंगे कहकर नंद कुमार टालता रहा। युवती रायगढ में रहकर काम कर रही थी इसी बीच उसे पता चला कि माह फरवरी 2021 में नंद कुमार किसी अन्य लडकी से सारंगढ़ में शादी कर लिया है। युवती के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 657/21 धारा 376 ताहि कायम कर विवेचना में लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर आज अपनी टीम के साथ आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये सारंगढ रवाना हुए। आरोपी के मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने ली कोरोना महामारी के संबंध में वर्चुअल समीक्षा बैठक

» जिला पंचायत व जनपद पंचायत के प्रतिनिधि हुए शामिल

रायगढ़ । जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने रायगढ़ जिले के जिला व जनपद पंचायत के जन प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने जिला पंचायत के सदस्यों, जनपद पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्रों का हाल चाल जाना और कोरोना महामारी से बचाव हेतु उनके क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही उनके सुझाव भी जाने। सभी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण के जल्द रोकथाम के

लिए कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन, नियमित रूप से हाथों को धोना और सेनिटाइज करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। लक्षण दिखने पर तत्काल टेस्ट कराने, होम आइसोलेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में संक्रमित व्यक्ति अपने घर में ही रहे बाहर नही निकले तो संक्रमण को बढ़ने से जल्द रोका जा सकता है। प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। हमें भी इस दिशा में लोगों को लगातार जागरूक करना है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिये भी सभी लोगों को जागरूक करते हुए और अफवाहों भ्रांतियों से दूर रहकर टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दौरान उन्होंने सभी से उनके सुझाव भी जाने। सदस्यों ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए लगातार टीकाकरण कार्यक्रम चलाने और ग्रामीणों के लिए निर्धारित केन्द्रों में प्राथमिकता से उन्हें टीका लगवाने की बात कही।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने समस्त मांगो को कलेक्टर भीम सिंह के समक्ष रखने तथा शासन-प्रशासन के संज्ञान में लाने की बात कही। साथ ही इस विकट परिस्थितियों में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा सहायता की जा रही है उसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं समस्त जन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर भीम सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल एवं अन्य सभी विभागों का आभार जताया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य-श्रीमती संगीता गुप्ता, श्रीमती पुनीता पटेल, आकाश मिश्रा, श्रीमती गोपिका गुप्ता, श्रीमती सविता नायक, श्रीमती वैजंती लहरे, श्रीमती सीता पटेल, श्रीमती अनिका भारद्वाज, कैलाश नायक, अजय नायक, श्रीमती विलास सारथी, श्रीमती संतोषी राठिया, श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल, अवध राम पटेल, संतोष राठिया, श्रीमती सहोद्रा राठिया, श्रीमती रोहिणी राठिया, देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती यशोमति सिदार, श्रीमती मालती राठिया, रामनाथ बैगा, गौरीशंकर राठिया, श्रीमती तुलसी बसंत उपस्थित रहे। बैठक में सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष भी शामिल हुये जिनमें रायगढ़ से श्रीमती भूमिसुता विनोद चौहान, पुसौर सुशील भोय, सारंगढ़ श्रीमती मंजू मालाकार, बरमकेला श्रीमती तारा अरूण शर्मा, खरसिया महेत्तर राम उरांव, घरघोड़ा श्रीमती सहोद्रा राठिया, तमनार श्रीमती सविता राठिया, लैलूंगा श्रीमती किरण पैकरा उर्फ लाजमती पैकरा एवं धरमजयगढ़ से पुनीत कुमार राठिया साथ ही जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण भी वर्चुअल बैठक में शामिल हुये।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480